कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ______ से ______ तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **वाद सं०– 05 /2022–23**

केस का प्रकार– विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31-1-23	आवेदिका पुनम बीना केरकेट्टा प्रधानाध्यापिका संत जूली मध्य विद्यालय चेरिआ बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि। मौजा बसिया के CS खाता नं० 69 प्लॉट नं० 1561 रकबा 50 डिसमील भूमि का केवाला संख्या 1805 दिनांक 17.10.1992 द्वारा क्रय के पश्चात लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्गत है। हाल सर्वे खतियान के आधार पर खाता नं० 45 प्लॉट 206 बना है। जिसका राजेन्द्र साव पिता रघु साव के लीलावती देवी पति अवधेश पासवान इन्द्रदेव पासवान पिता अनुराग राम सभी ग्राम मौ० बालूमाथ द्वारा online रसीद निर्गत करा लिया गया है। एवं भूमि पर चारदीवारी कर दी गई है। अतः जमाबंदी को रद्द करते हुए	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ____________ से ____________

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **वाद सं०– 05 /2022–23**

केस का प्रकार– ....

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	[illegible] मध्य विद्यालय के नाम जमाबंदी कायम करने के आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। अभिलेख दिनांक 10.2.23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ
10-2-23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्षकार के द्वारा कागज देने हेतु समय की मांग की गयी। द्वितीय पक्ष को समय दी जाती है। अभिलेख दिनांक 28.2.23 को रखें। 10.2.23 अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15-06-2023	अभिलेख एवं उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 15.06.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
15.6.23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। वाद के अंतर्गत भूमि की दोहरी जमाबंदी कायम होने कारण विवाद पाया गया है। चूंकि दोनों जमाबंदी अंचल अधिकारी बालूमाथ के स्तर से कायम की गयी है अतः इसमें निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष इस वाद को अपना पक्ष DCLR न्यायालय लातेहार के समक्ष रखें। साथ ही अभिलेख को DCLR लातेहार न्यायालय को हस्तगत कराएं तथा उभय पक्षकारों को सूचित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 15/6/23 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 17:02:45 +05:30
Location: 192.168.6.91

Scanned with CamScanner